

भाग -2 (संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जायेगा)

संयोजन या स्कीम की अवस्थिति - सा. गुरुभुमेली घाटी की छोखना के अन्दर निम्न पट्टा पौड़ी गढ़वाल
के अन्तर्गत मैथिली - देवरी - लफलाख - कटुखवाला मोड़ भाग के निर्माण हेतु अधिभूत
वन भूमि प्रस्तावित वन सम्पत्ति में।

राज्य/संघराज्य क्षेत्र - उत्तराखण्ड।

जिला - पौड़ी गढ़वाल।

जिला वन प्रभाग - गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी।

पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र :- 3.078 हे०

पूर्वक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति :- आरक्षित वन भूमि = 0.666 हे०
राज्य वन भूमि = 1.926 हे०
वन प्रस्तावित भूमि = 0.486 हे० 3.078 हे०

अनुमति के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा :-

वन का प्रकार :- आरक्षित/राज्य/पंचायती

वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व :- 0.6

प्रकारित्वार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना :- प्राकृतिक वृक्षों के
अनुसार चौड़, बाँझ, उत्तरीस, खंडा, अंगूर, पंचायती के वृक्ष 127 वृक्ष प्रस्तावित होंगे।

पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा :- मोड़ भाग निर्माण हेतु

वन के लिए पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त
भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित समस्त वन भूमि पर स्थलाकृति में
कोई भी खतरा के साथ भाग निर्माण के लिए भू-गर्भ में दृष्टि से उपयुक्त है।

वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :- 0.0 किमी।

वन जीव की दृष्टि से पूर्वक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :-

पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :- कुछ वन्य जीव
विद्यमान हैं।

यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अल्पवास
 क्षेत्रों आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य
 जीवों की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) :- नहीं,

100] क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण ब्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि०मी० के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) :-

नहीं।

101] क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण ब्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रास क्षेत्र पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि०मी० के भीतर अवस्थित है (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)

नहीं।

102] क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जन्तु के अलग या खतरे में अलग किस्म की प्रजातियां हैं, यदि है तो उनके ब्यौरे :-

नहीं।

103] क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किये जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन०ओ०) प्राप्त करना) व साथ उनका ब्यौरा दें) :-

नहीं।

104] पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :-

105] क्या नगर- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य विकास की आवश्यकता के लिए अति न्यूनतम है :-

हाँ,

106] यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग किया जा सकता है।

107] क्या अतिक्रमण के ब्यौरे :-

108] क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है

नहीं

109] यदि हाँ, तो नई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वर्तित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पता और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध कार्यवाही :-

110] क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हाँ/नहीं)

111] अतिक्रमण प्रतिक्रिया स्कीम के ब्यौरे :-

112] अतिक्रमण प्रतिक्रिया बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विविध प्रास्थिति :- ग्राम- चित्वाड़, पल्लवा की सिविल सो. ग्राम, भूमि (लान जेड ए.)

113] अतिक्रमण, सर्वेक्षण या कन्वर्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए क्षेत्रों के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध कार्यवाही :- ग्राम- चित्वाड़, पल्लवा, स्टाटा न० 9 (नौ) क्षेत्र, 6.156 है

114] अतिक्रमण प्रतिक्रिया क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 स्केल का नक्शा भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है।

हाँ,

100. संमित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न है (हां/नहीं) :- हां

101. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :- रु० 1288857.00

102. क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की व्यक्तियुक्तता के ब्यौरे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न है (हां/नहीं) :- हां

103. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं) :- हां (पृष्ठ-7)

104. स्वीकृत या अन्यथा कारणों से साथ प्रस्ताव के लिए उप वनसंरक्षक की विनिदिष्ट सिफारिशें :- जमहियत से संस्थान की होती हैं।

रमेश चन्द
प्रधानीय वनाधिकारी
अनुवांश वन प्रभाग

स्थान :- पैडी (गढ़वाल)

तारीख :- 15-01-2016

हस्ताक्षर

नाम

शासकीय मुद्रा